

286

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण क्र.

/2016

R 2230-II-16

भैयालाल पुत्र श्री प्रेमसाय राठौर निवासी  
ग्राम बरबसपुर तह. व जिला अनूपपुर

.....आवेदक

दिनांक 5-7-16 को  
श्री विनोद शर्मा का  
द्वारा प्रस्तुत/

विरुद्ध

1. सोमवती पत्नी श्री बृजलाल बैगा
2. सविता
3. नीलम
4. विद्या
5. खेलन
6. किरन सभी आत्मज ब्रज लाल भैया
7. ममता आयु 15 वर्ष
8. गोपाल आयु 12 वर्ष आत्मज ब्रजलाल  
दोनों आवयस्क द्वारा संरक्षक माँ  
सोमवती ग्राम बरबसपुर तह. व जिला  
अनूपपुर .....अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर

जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा रा.प्र.क्रमांक

57/अ 74/2015-16 में की गई

कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 29.06.2016

के विरुद्ध म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 को

धारा 50 के आधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, आवेदक एवं अनावेदकगण की भूमि एक दूसरे की भूमि से  
सटी हुयी है, आवेदक द्वारा अनावेदकगण की किसी भी भूमि पर कोई  
कब्जा नहीं किया है।

श्री विनोद शर्मा  
रा.प्र.क्रमांक 2  
5-07-2016

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2230-दो / 2016

जिला-अनूपपुर

भैयालाल राठौर विरुद्ध सोमवती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर, जिला-अनूपपुर के प्र. क्र. 57/अ-74/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 29-06-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 12-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.के. जैन) 25/2/2019 सदस्य</p>